



## भारत के सामाजिक सुरक्षा संजाल में सुधार

यह एडिटरियल 23/08/2023 को 'द हद्वि' में प्रकाशित ["Needed, a well-crafted social security net for all"](#) पर आधारित है। इसमें सामाजिक सुरक्षा नीतियों के समक्ष वदियमान मुद्दों और चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई है तथा उनके शमन के उपायों पर वचिर कथि गयल है।

### प्रलिमिस के लयि:

[आवधकि शरुु बल सरवेकषण, सामलक सुरकषल संहति \(2020\), करुुचलरी भवषिय नधिय संगठन \(EPFO\), करुुचलरी रलक्य बील नगल \(ESIC\), रलषटरीय पेंशन प्रणली \(NPS\), सारवभौमकि सामलक सुरकषल, रलषटरीय सामलक सहायतल करुुकरुु, ई-शरुु, स्व-रोकगलर महलल संघ \(SEWA\), CAG।](#)

### मेनुस के लयि:

सलमलक सुरकषल: युकनलएँ, मुदुदे, आगे की रलह और सरवोतुतुतु वेशवकि प्रथलएँ।

[आवधकि शरुु बल सरवेकषण \(Periodic Labour Force Survey\)](#) वरुुषकि रपुुलरुु 2021-22 के अनुसलर भरत में वेतनभुुगी करुुयबल के लगभग 53% कुु कुुई सलमलक सुरकषल ललभ प्रलपुुत नहल है, कसल पर मीडियल में चरुुचल की कल रलही है। इसकल मूलत: अरुुथ यह है कल ऐसे करुुमचलरयल कुु भवषिय नधिय, पेंशन, स्वलसुथय देखभलल और वकिललंगतल बीलल तक कुुई पहुँच प्रलपुुत नहल है।

भरत के नरुुधनतुतु 20% करुुयबल में से केवल 1.9% कुु ही इन ललभुु तक पहुँच प्रलपुुत है। इसके सलथ ही, [गगल वरुुकुरुुस](#) (कुु भरत के सकुरुुय शरुु बल में लगभग 1.3% की हसुुसेदलरी रलखते है) कुु तुु शलक्य ही कसलल सलमलक सुरकषल ललभ तक पहुँच प्रलपुुत है। भरत की सलमलक सुरकषल प्रणली की रैकगल भी बदतर है, जहल 'Mercer CFS' ने वरुुष 2021 में 43 देशुु की सुुची में भरत कुु 40वँ सुुथलन प्रदलन कथल।

### सलमलक सुरकषल:

[अंतरलरलषटरीय शरुु संगठन \(ILO\)](#) के अनुसलर, सलमलक सुरकषल (Social Security) वह सुरकषल उपाय है कुु कुुई सलमल वयकुुतयलुु एवं परवलरुु कुु स्वलसुथय देखभलल तक पहुँच सुनशुुचलतल करुुने और आय सुरकषल की गलरुुटी देने के लयल प्रदलन करतल है, वशेष रूुु से वृदुुधलवसुथल, बेरोकगलरी, बीललरी, वकिललंगतल, करुुय सुथल पर कुुओ कल शकलर हुुने, मलतुुतुव यल आकलवकल की हलनल के मलमलुु में।

सलमलक सुरकषल नीतयलुु वभलनलन प्रकरुु के सलमलक बीलललुु कुु दलकरे में लेती है, जैसे पेंशन, स्वलसुथय बीलल, वकिललंगतल ललभ, मलतुुतुव ललभ और गुरेचयुुटी।

### भरत में करुुयलनुवतल कुुओ प्रमुख सलमलक सुरकषल नीतयलुु:

- [सलमलक सुरकषल संहति, 2020 \(The Code on Social Security, 2020\)](#): यह एक वयलपक कलनुन है कुु सलमलक सुरकषल से संबुंधतल नुु प्रुुवरुुती कलनुनुु कुु सडकेतल और सरललकृत करतल है। यह संगठतल एवं असंगठतल दुनुु कुुषेतरुु के करुुमचलरयलुु कुु कवर करतल है और सेवलनवृुुतुतु पेंशन, भवषिय नधिय, कलवन एवं वकिललंगतल बीलल, स्वलसुथय देखभलल एवं बेरोकगलरी ललभ, बीललरी के दुरलन वेतन एवं अवकलश (sick pay and leaves) और भुगतलनप्रलपुुत मलतुुतुव-पतृुुतुव अवकलश (parental leaves) प्रदलन करतल है।
- [करुुमचलरी भवषिय नधिय संगठन \(Employees' Provident Fund Organisation- EPFO\)](#): यह एक [सलवधकल नकलल](#) है कुु करुुमचलरी भवषिय नधिय युकनल, करुुमचलरी पेंशन युकनल और करुुमचलरी डुुपलुुजटल लकुुड बीलल युकनल कल प्रबुंधन करतल है। ये युकनलएँ संगठतल कुुषेतरुु के करुुमचलरयलुु कुु सेवलनवृुुतुतु पेंशन, भवषिय नधिय और कलवन एवं वकिललंगतल बीलल प्रदलन करती है।
- [करुुमचलरी रलक्य बीलल \(Employees' State Insurance- ESI\)](#): यह एक [सुुववतुुतुतुतुतु सलमलक सुरकषल युकनल](#) है कुु बीललरी, मलतुुतुव, वकिललंगतल एवं बेरोकगलरी के मलमले में करुुमचलरयलुु कुु चकलतुुसल देखभलल और नकद ललभ प्रदलन करती है। इसमें संगठतल कुुषेतरुु के उन करुुमचलरयलुु कुु शलमल कथल गयल है कुु एक नशुुचलतल सुुलल से कड आय अरुकुुतल करुुते है।
- [रलषटरीय पेंशन प्रणली \(National Pension System- NPS\)](#): यह एक [सुुवैचुककल, परभलषतल युकनलन पेंशन युकनल](#) है कुु वयकुुतयलुु कुु अपनी सेवलनवृुुतुतुतु के लयल बकत करुुने की अनुडतल देती है। यह असंगठतल कुुषेतरुु में करुुयरत लुुगुु सलहतल भरत के सभल नलगरकुुलुु के लयल उडललबुध है। यह ववधल नवलश वकललपुुु और कर ललभुुु की डेशकश करती है।

- **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme- NSAP):** यह एक सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम है जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों से संबंधित वृद्ध जनों, वधवाओं, वकिलांग जनों और प्राथमिक अर्जक की मृत्यु पर शोक संतप्त परिवारों को सहायता प्रदान करता है।

## सामाजिक सुरक्षा नीतियों और उनके कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे एवं चुनौतियाँ:

- **पर्याप्त बजटीय आवंटन का अभाव:** राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा नधि (National Social Security Fund) की स्थापना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये महज 1,000 करोड़ रुपए के आरंभिक आवंटन के साथ की गई थी, जो कि 22,841 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित आवश्यकता से पर्याप्त कम था।
  - इससे पता चलता है कि सरकार ने अपने विकास एजेंडे के प्रमुख घटक के रूप में सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी है और समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त संसाधन आवंटित नहीं किये हैं।
- **अकुशल नधि उपयोग और प्रबंधन:** सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिये आवंटित धन का प्रभावी ढंग से या कुशलता से उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के लिये, CAG के ऑडिट से उजागर हुआ है कि राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा नधि की स्थापना के बाद से इसमें जमा किये गए हुए 1,927 करोड़ रुपए का कोई उपयोग नहीं किया गया है।
  - इसी तरह, दिल्ली में निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये एकत्र किये गए उपकर (cess) का कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं किया गया और लगभग 94% धन खर्च ही नहीं किया गया।
  - इन उदाहरणों से संकेत मिलता है कि नधि प्रबंधन और नगिरानी प्रणालियों में अंतराल मौजूद हैं, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक धन की बर्बादी एवं न्यून उपयोग की स्थिति बनती है।
- **भ्रष्टाचार और रसाव:** सामाजिक सुरक्षा नीतियों और उनके कार्यान्वयन से संबंधित एक अन्य चुनौती है भ्रष्टाचार और धन का रसाव/लीकेज। हरियाणा का उदाहरण लें तो CAG ने पाया कि राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की प्रत्यक्ष लाभ योजना में मृत लाभार्थियों के खातों में 98.96 करोड़ रुपए हस्तांतरित किये गए थे।
  - इससे पता चलता है कि लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा लाभ के वितरण तंत्र में व्यापक खामियाँ मौजूद हैं।
  - इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा नधि के आवंटन और वितरण में धोखाधड़ी, रश्वतखोरी, भाई-भतीजावाद एवं राजनीतिक हस्तक्षेप के दृष्टांत भी प्राप्त होते हैं।
- **अपर्याप्त कवरेज और लाभ:** भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अपर्याप्त कवरेज और लाभों की समस्या भी लगातार बनी रही है। उदाहरण के लिये, वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं में केंद्र का योगदान वर्ष 2006 से 200 रुपए प्रति माह तक गतहीन बना रहा है, जो दैनिक न्यूनतम वेतन से भी कम है।
  - इसके अलावा, कुछ योजनाओं के लिये पात्रता मानदंड अत्यंत प्रतषिधात्मक हैं और कई पात्र लाभार्थियों को अपवर्जित कर देते हैं। उदाहरण के लिये, **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम** उन वृद्ध जनों पर केंद्रित है जिनके परिवार में कोई कार्यक्षम अर्जक नहीं है और वे 75 रुपए मासिक पेंशन अर्जित करने के पात्र हैं।
    - इससे ऐसे कई गरीब वृद्ध जन इसके दायरे से बाहर रह जाते हैं, जिनके घर में भले कुछ आय अर्जक सदस्य हों, लेकिन फिर भी उन्हें आर्थिक कठिनाई एवं असुरक्षा का सामना करना पड़ता है।
- **बजटीय कटौती: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)** के लिये बजटीय आवंटन में कमी करना सामाजिक कल्याण एवं ग्रामीण रोजगार सृजन के लिये प्राथमिकता के अभाव का संकेत देती है।
- **प्रौद्योगिकी और 'डिजिटल डिविड':** कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ पंजीकरण और लाभ के वितरण के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित हो रही हैं। लेकिन आबादी का एक बड़ा हिस्सा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रौद्योगिकी और इंटरनेट तक पहुँच की कमी का शिकार हो सकता है, जिससे एक डिजिटल डिविड पैदा होता है, जो इन कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी को बाधित करता है।
- **अनौपचारिक श्रम क्षेत्र:** भारत का लगभग 91% कार्यबल (लगभग 475 मिलियन लोग) अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, जहाँ प्रायः रोजगार सुरक्षा, लाभ और औपचारिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों तक पहुँच का अभाव पाया जाता है।

## भारत द्वारा कदम उठाए जा सकने वाले संभावित कदम:

- **सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा (Universal Social Security):** समय आ गया है कि भारत अपनी मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं/तदर्थ उपायों को सुदृढ़ करे और अपने संपूर्ण श्रम कार्यबल को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। जहाँ रोजगार तेज़ी से मांग-आधारित बन रहे हैं और नौकरी पर रखने/नकालने की नीतियों का तीव्र प्रसार हो रहा है, भारत के कामगार रोजगार के मोर्चे पर दैनिक असुरक्षित होते जा रहे हैं।
  - सामाजिक सुरक्षा की भावना प्रदान करने के साथ ही देश के विकास का लाभ सभी लोगों तक पहुँचाने के लिये नीतिनिर्माताओं को पारंपरिक आपूर्ति-पक्षीय आर्थिक सिद्धांतों का त्याग करना होगा और समतामूलक विकास को सक्षम करने वाली नीतियाँ अपनानी होंगी।
- **EPFO योगदान का वसितार: कर्मचारी भविष्य नधि संगठन (EPFO)** प्रणाली में योगदान का वसितार औपचारिक कामगारों के लिये सामाजिक सुरक्षा की वृद्धि कर सकता है। इसमें नयिकता और कर्मचारी दोनों द्वारा ही नधि में योगदान किया जाना शामिल है।
  - अनौपचारिक कामगारों के लिये आंशिक योगदान: सार्थक आय वाले अनौपचारिक कामगार, चाहे वे स्व-रोजगार से संलग्न हों या अनौपचारिक उद्यमों में, आंशिक योगदान दे सकते हैं।
    - अनौपचारिक उद्यमों को औपचारिक बनने और योगदान करने के लिये प्रोत्साहित करना भी इस दृष्टिकोण का एक अंग हो सकता है।
- **कमजोर कामगारों के लिये सरकारी सहायता:** बेरोजगारी, अल्प रोजगार या कम कमाई के कारण योगदान करने में असमर्थ लोगों को सरकारी सब्सिडी या सामाजिक सहायता प्रदान करने से यह सुनिश्चित होगा कि सभी को बुनियादी सामाजिक सुरक्षा सहायता तक पहुँच प्राप्त हो।
- **डिजिटलीकरण और ई-श्रम प्लेटफॉर्म (e-Shram):** डिजिटल प्लेटफॉर्म और डेटा सिस्टम में नविश सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के पंजीकरण,

सत्यापन, वितरण, नगिरानी एवं मूल्यांकन को सुव्यवस्थित करता है और इस प्रकार दक्षता एवं पारदर्शिता में सुधार करता है।

• **ई-श्रम प्लेटफॉर्म** के वसितार और डिजिटलीकरण प्रयासों ने लाखों कामगारों के नामांकन एवं वसितारति बीमा कवरेज को सक्षम किया है।

• हालाँकि, पंजीकरण का बोझ केवल अनौपचारिक कामगारों पर ही नहीं होना चाहिये; इसमें नियोक्ताओं को शामिल करने से औपचारिकता को बढ़ावा मलि सकता है।

- **नियोक्ताओं के लिये अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा:** कर्मचारियों के लिये उनके नियोक्ताओं द्वारा प्रवर्तित अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अधिकारों को लागू करने से कर्मचारी-नियोक्ता संबंधों में औपचारिकता एवं जवाबदेही को बढ़ावा मलिगा।
- **अखलि भारतीय श्रम बल कार्ड (Pan-India Labour Force Card):** एक राष्ट्रव्यापी श्रम बल कार्ड पेश करने से पंजीकरण प्रक्रिया सरल हो सकती है और नरिमाण एवं गगि वरकर क्षेत्रों से परे भी सामाजिक सुरक्षा कवरेज का वसितार हो सकता है।
- **सफल योजनाओं का वसितार करना:** कामगारों की व्यापक श्रेणी को कवर करने के लिये भवन एवं अन्य सननरिमाण कर्मकार योजना जैसी विभिन्न सफल योजनाओं का वसितार किया जा सकता है। इसमें बेहतर लाभ सुवाह्यता के लिये कुछ नयितरणों (जैसे कूलगि-ऑफ अवधा) पर पुनर्विचार की आवश्यकता पड़ सकती है।
- **वशिष्ट श्रमिक समूहों को संबोधति करना:** घरेलू कामगारों और प्रवासी कामगारों जैसे कमज़ोर कामगार समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। बच्चों की देखभाल जैसी सामाजिक सेवाओं के कवरेज का वसितार और घरेलू कामगारों के लिये विभिन्न प्रयासों का आयोजन उन्हें अधिक स्थरिता प्रदान कर सकता है।
- **मौजूदा योजनाओं को सुदृढ़ करना:** सरकार को मौजूदा योजनाओं को सुदृढ़ करने का भी प्रयास करना चाहिये। उदाहरण के लिये **कर्मचारी भविष्य नधि (EPF), कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESI) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)** आदिको बजटीय समर्थन तथा कवरेज के वसितार के साथ सुदृढ़ किया जा सकता है।
- **प्रशासनिक सरलीकरण:** सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के प्रशासनिक ढाँचे को सरल बनाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिये, असंगठित कामगारों के लिये मौजूदा सामाजिक सुरक्षा ढाँचा जटलि हो गया है, जहाँ राज्य और केंद्र के बीच अधिकार के अतवियापी क्षेत्र पाए जाते हैं तथा प्लेटफॉर वरकर, किसी असंगठित क्षेत्र के कामगार और किसी स्व-रोज़गारी के बीच अंतर की भ्रामक परिभाषाएँ उपयोग की जा रही हैं।
- **जागरूकता बढ़ाना:** सामाजिक सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये और अधिक उल्लेखनीय प्रयास किये जाने की आवश्यकता है ताकयिह सुनिश्चित किया जा सके क अधिकिाधिक कामगार उपलब्ध लाभों के बारे में जागरूक हों। **स्व-रोज़गार महिला सेवा संघ (SEWA)** जैसे संगठन, जो शक्ति केंद्र (कार्यकरता सुवधि केंद्र) का संचालन करते हैं, उन्हें सरकार की सेवाओं एवं योजनाओं के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा अधिकारों के बारे में वृहत सूचना के प्रसार हेतु अभियान चलाने के लिये (विशेष रूप से महिलाओं के लिये) वतितपोषति किया जा सकता है।

## भारत दूसरे देशों से क्या सीख सकता है?

- **ब्राज़ील:** ब्राज़ील में एक व्यापक और उदार सामाजिक सुरक्षा प्रणाली क्रयानवति है जो 90% से अधिक आबादी को कवर करती है और विभिन्न परस्थितियों में कामगारों एवं उनके परिवारों के लिये आय प्रतस्थिापन (income replacement) प्रदान करती है।
  - भारत अपनी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के कवरेज और दायरे का वसितार करने के साथ-साथ अपनी वतिलीय स्थरिता एवं दक्षता सुनिश्चित करने के लिये सुधारों को लागू करने में ब्राज़ील के अनुभव से प्रेरणा प्राप्त कर सकता है।
- **जर्मनी:** जर्मनी में एक सुवकिसति सामाजिक सुरक्षा प्रणाली मौजूद है जो सामाजिक बीमा के सदिधांत पर आधारति है, जहाँ कामगार और नियोक्ता ऐसी विभिन्न योजनाओं में योगदान करते हैं जो पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल, बेरोज़गारी लाभ, दीर्घकालिक देखभाल और पारिवारिक भत्ते प्रदान करते हैं।
  - भारत जर्मनी के सामाजिक बीमा मॉडल से प्रेरणा ग्रहण कर सकता है, जसि जनता द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है और भरोसेमंद माना जाता है तथा यह कामगारों के लिये पर्याप्त सुरक्षा एवं प्रोत्साहन प्रदान करता है।
- **सगिापुर:** सगिापुर में एक अनुठी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली क्रयानवति है जो व्यक्तगित बचत के सदिधांत पर आधारति है, जहाँ कामगारों को अपनी आय का एक हसिसा केंद्रीय भविष्य नधि में बचत करने की आवश्यकता होती है, जसिका उपयोग फरि सेवानवित्ति, आवास, स्वास्थ्य देखभाल और शकिषा के लिये किया जा सकता है।
  - भारत व्यक्तगित उत्तरदायतिव और संपत्ति संचयन को बढ़ावा देने के साथ-साथ कामगारों को अपनी बचत का प्रबंधन करने के लिये लचीलापन एवं वकिल्प प्रदान करने के सगिापुर के दृष्टिकोण से प्रेरणा ग्रहण कर सकता है।

## नषिकर्ष:

भारत में सामाजिक सुरक्षा के संबंध में ठोस नीति कार्यान्वयन, धन के उचित आवंटन, संसाधनों के पारदर्शी उपयोग और कुशल नरिक्षण तंत्रों की आवश्यकता है। इन मुद्दों को संबोधति किये बिना सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के इच्छति लाभार्थियों के समक्ष चुनौतियों एवं अपर्याप्त समर्थन की स्थिति बनी रहेगी। सरकार द्वारा वर्ष 2020 में प्रस्तावति सामाजिक सुरक्षा संहति (Code on Social Security) विभिन्न श्रेणियों के कामगारों के लिये (गगि अर्थव्यवस्था और अनौपचारिक क्षेत्रों से संबद्ध कामगारों सहति) सामाजिक सुरक्षा हेतु एक सांवधिक ढाँचा प्रदान करने की दशिा में एक सकारात्मक कदम है।

**अभ्यास प्रश्न:** भारत की सामाजिक सुरक्षा नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इस आलोक में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के समक्ष वदियमान चुनौतियों की चर्चा कीजिये और उनके समाधान के उपाय सुझाइये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????

**प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में शामिल हो सकता है? (2017)**

- (A) केवल नविसी भारतीय नागरिक
- (B) केवल 21 से 55 वर्ष की आयु के व्यक्ति
- (C) अधिसूचना की तारीख के बाद सेवाओं में शामिल होने वाले सभी राज्य सरकार के कर्मचारी तथा संबंधित राज्य की सरकारों द्वारा अधिसूचना किये जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आये हैं
- (D) सशस्त्र बलों सहित केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी , जो 1 अप्रैल, 2004 या उसके बाद सेवाओं में शामिल हुए हैं

**उत्तर: (C)**

**प्रश्न . 'अटल पेंशन योजना' के संबंध में नमिनलखिति कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? (2016)**

1. यह मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लक्षित एक न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन योजना है ।
2. एक परिवार का एक ही सदस्य इस योजना में शामिल हो सकता है ।
3. यह ग्राहक की मृत्यु के बाद जीवन भर के लिये पति या पत्नी हेतु समान राशिकी पेंशन गारंटी है ।

**नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:**

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

**उत्तर: C**

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/reforming-india-s-social-security-net>

